जनपद न्यायालय, बरेली।
वाहन नीलामी सूचना
(जहाँ है जैसी है के आधार पर)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बरेली में शासकीय पेट्रोल चालित एम्बासेडर कार यू0पी025ई–2592, यू0पी025ई–2594, यू0पी025ई–2596 व यू0पी025ई–2597 की नीलामी दिनांक 05.11.2016 को अपराह्न 2 बजे जनपद न्यायालय, बरेली के सभागार कक्ष में समिति द्वारा की जावेगी।

वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित शर्तें जनपद न्यायालय, बरेली के केन्द्रीय नज़ारत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं।

(अरुण कुमार पाठक)
सदस्य,वाहन नीलामी समिति,
प्रभारी अधिकारी,नज़ारत,
जनपद न्यायालय, बरेली ।

प्रतिलिपिः– सम्पादक, अमर उजाला बरेली को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार पाठक)
सदस्य,वाहन नीलामी समिति,
प्रभारी अधिकारी,नज़ारत,
जनपद न्यायालय, बरेली ।

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, बरेली।
(नज़ारत–अनुभाग)

शासकीय वाहनों की नीलामी की शर्तें

1. बोलीदाता को बोली बोलने से पूर्व दिनांक 05.11.2016 को अपराह्न 1:30 बजे तक प्रत्येक वाहन की नीलामी के सम्बन्ध में रू0 10,000.00 की धनराशि जमानत के रूप में सेण्ट्रल नाज़िर के पास जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर वह बोली में भाग नहीं ले सकेगा।

2. जिस बोलीदाता की उच्चतम अंतिम बोली होगी उसके द्वारा जमा की गई जमानत राशि रोक ली जावेगी। शेष बोलीदाताओं की जमानत राशि नीलामी कार्यवाही समाप्त होने पर वापस कर दी जावेगी।

3. जिस बोलीदाता की उच्चतम अंतिम बोली होगी उसे बोली मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगी तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा कर वाहन उठाना होगा। यदि नियत समय में शेष धनराशि जमा नहीं की जाती है तो जमाशुदा 50 प्रतिशत धनराशि शासकीय हित में जब्त कर ली जावेगी तथा द्वितीय बोलीदाता को वाहन के नीलाम के सम्बन्ध में आमन्त्रित कर उसके नाम नीलाम छोड़ दिया जायेगा।

4. वाहन की उच्चतम अंतिम बोली की राशि पर देय कर निर्धारित दर पर बोलीदाता को अतिरिक्त रूप से भुगतान करना होगा।

5. नीलाम क्रेता को वाहन उपलब्ध होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर वाहन को अपने नाम ट्रान्सफर कराना होगा तथा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट की एक प्रति नज़ारत कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

6. नीलाम समिति का निर्णय सभी को मान्य होगा। राजकीय हित में बिना कारण बताये समस्त नीलामी कार्यवाही अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश, बरेली के पास होगा, जो सभी को मान्य होगा।

7. नीलामी कार्यवाही में कोई विवाद उत्पन्न होने पर जनपद न्यायाधीश, बरेली का निर्णय अंतिम होगा।

Approve
14/10/16

District Judge
BAREILLY

14/10/16

(अरुण कुमार पाठक)
प्रभारी अधिकारी, नज़ारत,
सदस्य, वाहन नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, बरेली।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत ।

14/10/16

(अरुण कुमार पाठक)
प्रभारी अधिकारी, नज़ारत,
सदस्य, वाहन नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, बरेली।